

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं: 92/2018

निर्णय दिनांक 25/01/2018

उनवान:- बकश हुसीन

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का सर्कल ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 488 रकबा 1-15 किस्म चापागाह

बारे ग्राम काडक्यू पर बीमरी हुसीन पुत्र चलासिंह

जाति कांध निवासी काडक्यू तहसील बाड़ी

ने सम्बर 2024 रबी/खरीफ में फसल 1-00 घ. के गेहूँ का फसल कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी बीमरी हुसीन पुत्र चलासिंह

जाति कांध निवासी काडक्यू को आ. ख. नं. 488

रकबा 1-15 3-00 बरे ग्राम काडक्यू से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 394/- (अक्षरे

रूपेय तीन सौ पचास के अक्षरों में) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी

हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली

पृथक् से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफतर है।

फैसला आल दिनांक 25/01/2018 को

श्रुते इजलास पढकर सुनाया गया।

पुष्प
तहसीलदार
मुकदमा नं. (मौजपुर) राज.

394 4
नाम राशि
दिनांक के पत्र के
को फसल एवं
पत्रावली
24/8